[2018] 12 एस. सी. आर 235

पदमिनी सिंघा

बनाम

असम राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4677/2018)

27 सितंबर, 2018

[मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति, ए. एम. खानविलकर और

न्यायमूर्ति, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़]

असम पंचायत अधिनियम, 1994 – धारा 15 (1)–अनिवार्य प्रावधान–छूट–प्रत्यर्थी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सं. 6, खंड विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.) की अध्यक्षता में एक बैठक में संबंधित पंचायत के अध्यक्ष–उत्तरदाता सं. 6 ने अपना अध्यक्षता पद खो दिया और अपीलार्थी, उपाध्यक्ष को कुछ समय के लिए संबंधित पंचायत के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया–प्रत्यर्थी सं 6 उसके खिलाफ विश्वास की कमी व्यक्त करने वाले प्रस्ताव की कानूनी स्वीकार्यता और वैधता को चुनौती देते हुए, अनुमति दी गई–आयोजितः धारा 15 (1) पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि बैठक उपायुक्त द्वारा एक निर्धारित समय के भीतर बुलाई जानी है और उक्त प्राधिकारी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के पद् से नीचे के अपने अधीन एक राजपत्रित अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने की शक्ति भी प्रदान की गई है– कानून के एक अनिवार्य प्रावधान के लिए सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं जहां एक प्रावधान अनिवार्य होने पर भी, गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप अधिनियम को रद्द नहीं किया जाएगा–ऐसा एक अपवाद है, यदि किसी विशेष व्यक्ति के लाभ या हित के लिए किसी क़ानून में एक निश्चित आवश्यकता या शर्त प्रदान की जाती है, तो उसे उसके द्वारा माफ किया जा सकता है यदि कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है,वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 6 जो एक लाभार्थी थे, उन्होंने उस बैठक में भाग लिया जिसमें मतदान हुआ था और कोई जनहित प्रभावित नहीं हुआ था–इसके अलावा, बीडीओ ने बैठक की अध्यक्षता की और प्रतिवादी नं 6 यह जानते थे कि बैठक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में प्रस्ताव पारित करने के लिए बुलाई गई थी–मतदान प्रक्रिया में हारने के बाद, बैठक बुलाने की प्रक्रिया पर हमला किया गया था–भाग लेने के बाद, प्रतिवादी नं 6 ने पूर्ववर्ती शर्त को माफ कर दिया–प्रतिवादी संख्या के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। वैध–छूट।

अ) **न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए,**

ठराया :**1 असम पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 15 (1) को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि बैठक उपायुक्त द्वारा निर्धारित समय के भीतर बुलाई जानी है और उक्त प्राधिकारी को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उनके अधीन एक राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति भी**

प्रदान की गई है जो प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद से कम नहीं है।उपायुक्त को बैठक बुलाने के लिए सूचित किए जाने के बाद उक्त स्थिति अस्तित्व में आती है।[पैरा 9] [240–जी]

1. 2 31.03.2014 पर बैठक में पारित प्रस्ताव में दर्ज किया गया है कि प्रत्यर्थी नं 6 बैठक में उपस्थित थे और हस्ताक्षर किए गए थे।यह बैठक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी।प्रत्यर्थी नं 6 जो एक लाभार्थी थे, उन्होंने बैठक में भाग लिया और मतदान हुआ था।कानून में यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानून के एक अनिवार्य प्रावधान के लिए सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं जहां एक प्रावधान अनिवार्य होने पर भी, गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप अधिनियम को रद्द नहीं किया जाएगा।कुछ अपवाद भी हैं।ऐसा ही एक अपवाद है, यदि किसी कानून में किसी विशेष व्यक्ति के लाभ या हित के लिए कोई निश्चित आवश्यकता या शर्त प्रदान की गई है, तो उसे उसके द्वारा माफ किया जा सकता है यदि कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है।अंतिम परिणामस्वरूप मान्य होगा, भले ही आवश्यकता या शर्त का पालन न किया गया हो।तथ्य प्राप्त करने की स्थिति में, कोई सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं हुआ। खंड विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.) ने बैठक की अध्यक्षता की और हर कोई जानता था कि बैठक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में प्रस्ताव पारित करने के लिए बुलाई गई थी।प्रत्यर्थी नं 6 यह जानते हुए कि उन्होंने पूरी तरह से बैठक में भाग लिया और उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया।मतदान प्रक्रिया में हारने के बाद हमलावर को बैठक बुलाने की प्रक्रिया में लाया गया। उत्तरदाता न 6 बैठक में भाग नहीं लिया, मामला बिल्कुल अलग होता।भाग लेने के बाद, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि प्रत्यर्थी नं 6 ने पूर्ववर्ती शर्त को माफ कर दिया था।एकल न्यायाधीश के साथ–साथ खंड पीठ द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।प्रतिवादी नं. 6 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया जिसे वैध माना जाता है।[पैरा 11,13 और 14] [241–एफ–जी; 242–डी–एच; 243–ए] ए

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 4677/2018

2016 की रिट अपील संख्या 310 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.11.2017 के निर्णय और आदेश से।

पीयूष कांति रॉय, श्रीमती काकली रॉय (राजन के. चौरसिया के लिए), अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई। 1.आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने मसूघाट गाँव पंचायत के सात सदस्यों के साथ राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, प्रत्यर्थी नं. 6 इसमें, और असम पंचायत अधिनियम, 1994 की धारा 15 (1) के अनुसार गाँव पंचायत अध्यक्ष के बहुमत को साबित करने के लिए एक विशेष बैठक की मांग के लिए (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम')।आई. डी. 2 पर, मसूघाट गाँव पंचायत के सचिव ने उक्त अनुरोध को अध्यक्ष, बोरखोला आंचलिक पंचायत को भेज दिया, जिसमें कहा गया था कि यह मामला पहले ही राष्ट्रपति, मसूघाट गाँव पंचायत के समक्ष आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आई. डी. 1 पर रखा जा चुका है, लेकिन उन्होंने कुछ कानूनी

जटिलताओं के कारण प्रतीक्षा करने के लिए कहा।चूंकि एक विशेष बैठक बुलाने की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए याचिका को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जा रहा था। दिनांक 26.02.2014 के पत्र के आधार पर, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), बोरखोला विकास खंड ने मामले को उपायुक्त, कछार, सिलचर को यह कहते हुए भेजा कि उन्होंने पहले ही मामले को संबंधित पंचायत के अध्यक्ष के समक्ष 20.02.2014 पर रखा था; कि उन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कहा था और चूंकि एक विशेष बैठक बुलाने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए मामले को अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनके पास भेजा जा रहा था। 2.17.03.2014 पर, अतिरिक्त उपायुक्त, कछार, सिलचर ने बीडीओ, बोरखोला विकास खंड को एक संदेश भेजा जो इस प्रकार हैः–

"नं CDO.1/2014/11 दिनांकित, सिलचर, 17 मार्च, 2014

प्रति ,

खंड विकास अधिकारी, बोरखोला विकास खंड।

विषय – उप. राष्ट्रपति मसूघाट जी. पी. के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक।

Ref.BDE/E–11/92–98/Pt.II/AP

स्थापना, तिथि

26–02–2014

मैं जी. पी. अध्यक्ष मसूघाट जी. पी. के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की एक विशेष बैठक बुलाने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ लौटाता हूं और आपसे असम पंचायत राज अधिनियम, 1994 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

उक्त अधिनियम के सुसंगत भाग की उद्धरण प्रति। 15 (1) आपकी तरह की आवश्यक कार्रवाई के पक्ष में इसके साथ संलग्न है।

एन. सी. एल.:जैसा कि ऊपर बताया गया है, ए आर शेख , ए.सी. एस.अतिरिक्त उपायुक्त

(देव.) छचर,सिलचर

3. उपरोक्त संचार के अनुपालन में, बी. डी. ओ. ने 21.03.2014 पर राष्ट्रपति, मसूघाट गाँव पंचायत को पत्र लिखकर उन्हें 31.03.2014 पर 12 बजे बुलाई जाने वाली अविश्वास की विशेष बैठक में भाग लेने के लिए सूचित कियाःबी. डी. ओ. के कार्यालय में 30 बजे। 31.03.2014 पर, बैठक की अध्यक्षता बीडीओ ने की। बैठक में नौ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और एक सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।इस प्रकार, राष्ट्रपति, प्रत्यर्थी नं 6 इसमें, उन्होंने अपना अध्यक्ष पद खो दिया और उप–राष्ट्रपति, यहां अपीलार्थी, को कुछ समय के लिए संबंधित पंचायत के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया।

4. उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने से व्यथित होकर, प्रतिवादी नं 6 इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 2051 के रूप में एक रिट याचिका दायर की गई रिट याचिका में, उन्होंने 31.03.2014 पर आयोजित एक विशेष बैठक में अपने खिलाफ विश्वास की कमी व्यक्त करने वाले प्रस्ताव की कानूनी स्वीकार्यता और वैधता को चुनौती दी।उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 09.08.2016 के फैसले और आदेश के माध्यम से रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी कि 17.03.2014 के पत्र के माध्यम से, उपायुक्त ने मामले में कार्रवाई करने के बजाय, केवल बीडीओ को ए को वापस लिखा।

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कदम उठाएँ और बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बी. डी. ओ. को कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं था।अधिकार के प्रत्यायोजन को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था।उपायुक्त को ही एक बैठक बुलाकर अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में कदम उठाने चाहिए थे।अधिनियम की धारा 15 में अभिनिर्धारित अधिदेश के लिए विदेशी प्राधिकारी द्वारा बुलाई गई और अध्यक्षता की गई एक बैठक एक बैठक की कार्यवाही को पवित्र नहीं कर सकी। इस आधार पर, राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास व्यक्त करने वाले प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया गया और अमान्य घोषित कर दिया गया।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश से दुखी होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 2016 की रिट अपील (सिविल) संख्या 310 दायर की, जिसने विवादित निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा रिट अपील को खारिज कर दिया।डिवीजन बेंच ने कहा कि यह केवल उपायुक्त है जो सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर बैठक बुला सकता है और धारा 15 उपायुक्त को बीडीओ को बैठक बुलाने की अपनी शक्ति सौंपने के लिए अधिकृत नहीं करती है। बी. डी. ओ. राजपत्रित अधिकारी होने के नाते बैठक की अध्यक्षता तभी कर सकता है जब उपायुक्त बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो और यह बात उसके द्वारा बताई जाती है।अपीलीय पीठ ने राय दी कि अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, बैठक उपायुक्त द्वारा बुलाई जानी थी और कोई और नहीं और जब कानून एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने का प्रावधान करता है, तो काम उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।इस दृष्टिकोण के होने के कारण, यह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमत था और अदालत के भीतर की अपील को खारिज कर दिया।

6. विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील में, अपीलार्थी ने विवादित निर्णय की शुद्धता पर हमला किया है।

7. नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई उपस्थिति नहीं हुई है।हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री पीयूष कांति रॉय को सुना है।

8. धारा 15 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः–

धारा 15–राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्तावः–

(1) प्रत्येक अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति को तुरंत अपना पद खाली करना समझा जाएगा जब उस पर विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव गाँव पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई के बहुमत से पारित किया जाता है।

ऐसी बैठक विशेष रूप से गाँव पंचायत के सचिव द्वारा गाँव पंचायत के अध्यक्ष के अनुमोदन से बुलाई जाएगी।यदि प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के खिलाफ है तो ऐसी बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करेंगे और यदि प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ है तो उपराष्ट्रपति करेंगे।यदि नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर ऐसी बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो गाँव पंचायत का सचिव तीन दिनों के भीतर इस मामले को संबंधित आंचलिक पंचायत के अध्यक्ष को भेजेगा, जो गाँव पंचायत के सचिव से जानकारी प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर बैठक बुलाएगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

यदि आंचलिक पंचायत का अध्यक्ष उपरोक्त कार्रवाई नहीं करता है, तो निर्दिष्ट सात दिनों के भीतर, संबंधित गाँव पंचायत सचिव निर्धारित सात दिनों के समय की समाप्ति के बाद तीन दिनों के भीतर उपायुक्त/उप–मंडल अधिकारी (सिविल) को मामले की सूचना देगा और संबंधित उपायुक्त/उप–मंडल अधिकारी (सी) सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर जिला परिषद और आंचलिक पंचायत को सूचित करके बैठक बुलाएगा और इस तरह बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करेगाः

बशर्ते कि संबंधित उपायुक्त/उप–मंडल अधिकारी (सी), यथास्थिति, बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ होने की स्थिति में, अपने अधीन एक राजपत्रित अधिकारी को ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है जो प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद से कम न होः

बशर्ते कि जब कोई अविश्वास प्रस्ताव खो जाता है, तो अगले छह महीनों में ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

9. उक्त प्रावधान के स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि बैठक उपायुक्त द्वारा एक निर्धारित समय के भीतर बुलाई जानी है और उक्त प्राधिकरण को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उनके अधीन एक राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति भी प्रदान की गई है जो प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के पद से कम नहीं है।उपायुक्त को बैठक बुलाने के लिए सूचित किए जाने के बाद उक्त स्थिति अस्तित्व में आती है।डिवीजन बेंच ने उपायुक्त के संचार पर भरोसा करते हुए कहा है कि उनके पास वास्तव में ए नहीं है

बैठक बुलाई और इसके अलावा, उन्होंने बीडीओ को बैठक की अध्यक्षता करने की शक्ति या अधिकार नहीं दिया है।यह भी माना गया है कि बीडीओ अधिक से अधिक उस बैठक की अध्यक्षता कर सकते थे जब उपायुक्त उनके द्वारा बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ थे।लेकिन चूंकि बैठक नहीं बुलाई गई थी, इसलिए यह सब अवैध था।

10. यह ध्यान दिया जा सकता है कि हमारे समक्ष इस अपील में एक आधार लिया गया है कि लाभार्थी, अर्थात्, प्रतिवादी नं 6, बैठक में भाग लिया था।विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के अवलोकन पर, हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा कोई दावा किया गया था।जैसा कि हम

पाते हैं, पूरी चर्चा इस बात से संबंधित है कि उपायुक्त द्वारा दिनांकित 17.02.2014 के अपने संचार का क्या अर्थ है और आगे, बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बीडीओ को अधिकार के प्रत्यायोजन के बारे में।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित अंतिम निष्कर्ष निर्णय के पैरा 22 में व्यक्त किया गया है जो इस प्रकार हैः–

"22. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास व्यक्त करने वाले पारित प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया जाता है और अमान्य घोषित कर दिया जाता है।लेकिन मामला यहीं नहीं रुका।यह न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं रह सकता कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की गई थी और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के लिए अविश्वास की अभिव्यक्ति को नकार दिया गया था और इसलिए, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करने में अपने कर्तव्य में विफल रहेगा यदि यह न्यायालय याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश नहीं देता है।"

11. अधिनियम की धारा 15 की व्याख्या करते हुए, खंड पीठ ने राय दी कि उपायुक्त ने धारा 15 के तहत प्रदान किए गए अनुसार कार्य नहीं किया है।31.03.2014 पर पारित प्रस्ताव जिसे अनुलग्नक पी–6 के रूप में दर्ज किया गया है कि प्रत्यर्थी नं. 6 बैठक में उपस्थित थे और हस्ताक्षर किए गए थे।ऐसी स्थिति में, जो मुद्दा विचार के लिए उभरता है, वह यह है कि क्या बैठक के अंतिम समाधान को खारिज किया जा सकता था।

12. उक्त पहलू की सराहना करने के लिए, संकल्प की सामग्री को पुनः प्रस्तुत करना उचित है।वह इस प्रकार हैः–

"बैठक की अध्यक्षता असम पंचायत अधिनियम, 1994 के अनुसार बोरखोला विकास खंड के बीडीओ श्री किशोर बरुआ कर रहे हैं।

बैठक की शुरुआत में बीडीओ ने सदस्यों से पूछा कि क्या उनकी कोई राय है।उन्होंने जवाब दिया कि वे मतदान करना चाहते हैं फिर गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान किया जाता है।बैलेट बॉक्स दोपहर 1:30 बजे खुला रहता है। मतपेटिका खोलने के बाद 9 जी. पी. सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 1 जी. पी. सदस्य जाति ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। असम पंचायत अधिनियम 2/3 (धारा 15) के अनुसार कुल जी. पी. सदस्यों के बहुमत को या तो अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में या अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देना चाहिए।इस संबंध में दो तिहाई यानी 10 में से 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है।लेकिन बैलेट बॉक्स खोलने के बाद, यह पाया गया कि 9 जी. पी. सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 1 जी. पी. सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।जिसके परिणामस्वरूप मासूघाट जी. पी. की अध्यक्ष रीता रानी दुसाद ने अपना अध्यक्ष पद खो दिया और अधिनियम के अनुसार, उपाध्यक्ष मासूघाट जी. पी. कुछ समय के लिए मासूघाट जी. पी. के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे और कार्य करेंगे।"

13. पूर्वगामी से, यह काफी स्पष्ट है कि बैठक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।प्रत्यर्थी नं 6 जो एक लाभार्थी थे, उन्होंने बैठक में भाग लिया और मतदान हुआ था। कानून में यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानून के एक अनिवार्य प्रावधान के लिए सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसी स्थितियां हैं जहां एक प्रावधान अनिवार्य होने पर भी, गैर–अनुपालन के परिणामस्वरूप अधिनियम को रद्द नहीं किया जाएगा।कुछ अपवाद भी हैं।ऐसा ही एक अपवाद है, यदि किसी कानून में किसी विशेष व्यक्ति के लाभ या हित के लिए कोई निश्चित आवश्यकता या शर्त प्रदान की गई है, तो उसे उसके द्वारा माफ किया जा सकता है यदि कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है।अंतिम परिणाम मान्य होगा, भले ही आवश्यकता या शर्त का पालन न किया गया हो।हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि तथ्य प्राप्त करने की स्थिति में, कोई सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं हुआ था।बीडीओ ने बैठक की अध्यक्षता की और हर कोई जानता था कि बैठक अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में प्रस्ताव पारित करने के लिए बुलाई गई थी। प्रत्यर्थी नं 6 यह जानते हुए कि उन्होंने पूरी तरह से बैठक में भाग लिया और उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया।मतदान प्रक्रिया में हारने के बाद हमलावर को बैठक बुलाने की प्रक्रिया में लाया गया।हम सोचने के लिए इच्छुक हैं, क्या प्रतिवादी नहीं था। प्रत्यर्थी नं 6 बैठक में भाग नहीं लिया, मामला बिल्कुल अलग होता।भाग लेने के बाद, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि प्रत्यर्थी नं 6 ने पूर्ववर्ती शर्त को माफ कर दिया था।

14. उपरोक्त परिसर को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ–साथ डिवीजन ए द्वारा पारित आदेशों को स्वीकार किया जाता है।

बेंच को अलग रखा जाता है। प्रतिवादी नं. 6 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया को वैध माना जाता है।सक्षम प्राधिकारी को संकल्प के परिणामों को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।